न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 36/2018
हनुमानराम पुत्र समेलाराम जाति बिश्नोई निवासी कूदसू तहसील नोखा, जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

1— शंकरलाल पुत्र बगडावतराम जाति बिश्नोई निवासी कूदसू तहसील नोखा जिला बीकानेर
2— स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्टान

::अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::

उपस्थिति :—

1— अपीलान्ट की ओर से — श्री सीताराम बिश्नोई अधिवक्ता
2— रेस्पोडेन्ट संख्या 1 — श्री लक्ष्मीनारायण सियाग अधिवक्ता
3— स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 29.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि ग्राम कूदसू के खसरा नम्बर 348 तादादी 9.64 हैक्टयेर स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम रोडा के खसरा नम्बर 269 में रास्ते के लिए ग्राम कूदसू के अपीलान्ट के खसरा नम्बर 348 में से धारा 251 "ए" के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी नोखा ने दिनांक 21.9.2016 को रिमाण्ड करते हुवे तहसीलदार नोखा को आदेश दिया कि दोनों पक्षों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। किन्तु तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 20.11.2017 को जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट इसी आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हुक्म अदालत मातहत खिलाफ कानून, कायदा व रूएदाद मिसल के होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपील आदेश दिनांक 20.11.2017 तहसीलदार नोखा निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण सियाग अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। तद्न्तर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों में नहीं आने के कारण खारिज किया है तथा तहसीलदार नोखा को इस निर्देश के साथ भिजवाया कि दोनों पक्षों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

करें और यदि मौके पर पूर्व से रास्ता चालू पाया जाये तो राज्य सरकार के परिपत्र 10.8.16 की पालना में माह अक्टूबर से दिसम्बर तक चलाये जाने वाले अभियान में रास्ता खोला जावे तथा मौके पर रास्ते के हिसाब से मिलान हेतु रास्ते के प्रस्ताव भिजवावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के नाम कोई नोटिस जारी नहीं किया। जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। किन्तु जवाब रिकार्ड पर नहीं लिया व जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 26.9.2017 में पक्षकारान की उपस्थित में पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने का उल्लेख है लेकिन इस बाबत अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अपील अपीलान्ट ने आरआरडी 1984 पेज 809, आरएलडब्ल्यू 2011 पेज 441, आरएलडब्ल्यू 2009 पेज 877, आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 777, आरएलडब्लू 2005 पेज 596, आरएलडब्ल्यू 2010 पेज 174, न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुवे निवेदन किया कि अदातल मातहत द्वारा इकतरफा तौर पर पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर जैर अपील आदेश पारित किया हैं । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन के लिए ग्राम कूदसू के खसरा नम्बर 354 के पश्चिम में चल रहे कटाणी रास्ते से होते हुवे खसरा नम्बर 354 व 349 की दक्षिणी सीमा से उपयोग किया जा रहा है। मौके पर रास्ते के चिन्ह् विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खेत में से नया रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नहीं था। अदातल मातहत द्वारा विधिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर अनुचित आदेश पारित किया गया है। दिनांक 14.6.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के खेत की सीमा पर आकर कहां कि तहसीलदार कार्यालय से रास्ता कायम करवा लिया है। इसलिए अपीलान्ट शान्तिपूर्वक मौके पर रास्ता कायम करने देवें। अन्यथा जबरदस्ती रास्ता कायम कर लिया जावेगा। अपीलान्ट ने दिनांक 15.6.2018 को तहसील कार्यालय में जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि आदेश जैर अपील पारित किया जा चुका है। सर्वप्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः जैर अपील आदेश दिनांक 20.11.2017 तहसीलदार नोखा निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान किया जावे। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 607, आरएलडब्ल्यू 2011 पेज 262, आरएलडब्ल्यू 2009 पेज 151, आरएलडब्ल्यू 2008 पेज 1142 आरएलडब्ल्यू 2006 पेज 276, आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 397, आरएलडब्ल्यू 2012 पेज 24, आरएलडव्ल्यू 2014 पेज 1139, आरएलडब्ल्यू 2012 पेज 995, आरआरडी 1984 पेज 800 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4. विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस है कि अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलान्ट के अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित रहे है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने तहसीलदार नोखा को प्रकरण रिमाण्ड कर मौके की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे, जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। समस्त तथ्य अपीलान्ट के ध्यान में होते हुवे अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो खारिज योग्य होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपील मियाद बाहर होने से अपने कथनों के समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट ने डीएनजे 2011 पेज 1111, डीएनजे 2008 पेज 607 प्रस्तुत करते हुवे कहां कि अपील में सर्वप्रथम मियाद का बिन्दु तय होना है। शपथ पत्र के बारे में खण्डन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने आरआरटी 2006 पेज 192 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान ध्यानपूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार नोखा के आदेश दिनांक 20.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि तहसीलदार नोखा द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोखा से रास्ते संबंधी प्रस्ताव चाहे जाने पर दोनों पक्षों को सुनकर परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया। उक्त आदेश के पश्चात् अन्तिम निर्णय/आदेश उपखण्ड अधिकारी नोखा के द्वारा पारित किया जाना है। इस प्रकार उक्त आदेश/निर्णय अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है जिसके विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट इस स्तर पर चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच.गौरी)
अति. जिला कलक्टर
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर